डा0 भीमराव आंबेड़कर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 24.11.2022 का कार्यवृत्त

माननीय कार्य परिषद् की बैठक अतिथि गृह, खन्दारी परिसर, खन्दारी, आगरा में दिनांक 24.11.2022 को पूर्वाह्न 11:30 बजे सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुयेः-

प्रो0 आशू रानी, कुलपति - अध्यक्ष	
2. प्रो0 अजय तनेजा-प्रति कुलपति	3. प्रो0 लता चन्दोला
4. प्रो0 अचला गक्खर	5. प्रो0 जैसवार गौतम लाल बिहारी
6. प्रो0 पी0के0 सिंह	7. प्रो0 बी0पी0 सिंह
8. प्रो0 प्रदीप श्रीधर	9. प्रो0 शैलेन्द्र प्रताप सिंह
10. प्रो0 यशपाल सिंह	11. डा0 सुकेश कुमार
12. डा0 अजय त्यागी	13. डा0 राधा रानी गुप्ता
14. डा0 रोशन लाल	15. डा0 जगदीश प्रसाद शर्मा

डा विनोद कुमार सिंह, कुलसचिव - सचिव

बैठक में श्री सतेन्द्र कुमार, वित्त अधिकारी एवं डा0 ओम प्रकाश, परीक्षा नियत्रंक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप उपस्थित रहे।

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया एवं परिषद् के सभी सदस्यों द्वारा कुलपति महोदया का डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में स्वागत, अभिवादन किया गया एवं माननीय कार्य परिषद् की बैठक में प्रथम बार अध्यक्षता करने हेतु शुभकामनायें दी गयी। सचिव द्वारा सभी सदस्यों का परिचय कराया गया। प्रो0 पी0के0 सिंह को कार्य परिषद् का नवीन सदस्य नामित होने पर बधाई दी गई एवं पूर्व माननीय सदस्य प्रो0 अनिल वर्मा के सहयोग हेतु उनका आभार व्यक्त किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव/कुलसचिव ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की।

Ashu Rani

..............2

मद संख्या-1	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 05.06.2022 एवं 12.09.2022 के कार्यवृत्त सम्पुष्टि हेतु प्रस्तुत। (परिशिष्ट-1)
निर्णयः-	सचिव द्वारा दिनांक 05.06.2022 के कार्यवृत्त को परिषद् के समक्ष सम्पुष्टि हेतु मदवार पढ़कर सुनाया गया। बिन्दु संख्या-07 पर सर्व प्रथम कार्य परिषद् के माननीय सदस्य प्रो0 अजय त्यागी द्वारा डीन एकेडेमिक एवं प्रति कुलपति के द्वारा संयुक्त रूप से दिये गये पत्र दिनांक 01.06.2022 द्वारा विभिन्न संस्थानों में कार्यरत निदेशकों को विभागाध्यक्षों की तरह चक्रानुक्रमानुसार में परिवर्तन करने सम्बन्धी प्रस्ताव की भाषा को आदेशात्मक बताया। कुलाधिपति नामित माननीय सदस्य डा0 जगदीश शर्मा तथा डा0 रोशन लाल द्वारा भी समर्थन किया गया। डा0 रोशन लाल द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 05.06.2022 में अध्यादेश परिवर्तन कर संस्थानों में चक्रानुक्रम निदेशक नियुक्त करने की व्यवस्था को विश्वविद्यालय में लागू करने हेतु निर्णय हुआ था। अध्यादेश में संशोधन से पूर्व ही निदेशक परिवर्तन कर दिये गये, जो विधि सम्मत नहीं है, व अध्यादेश में परिवर्तन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही पूर्ण किये जाने के पश्चात् ही निदेशक परिवर्तन किये जाये। आसन की अनुमति से बोलते हुए प्रो0 तनेजा ने बताया कि कार्य परिषद् में निदेशकों के चक्रानुक्रम परिवर्तन को विश्वविद्यालय की आवश्यकता व सभी निदेशकों से चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव को कार्य परिषद् में रखा गया था। यह व्यवस्था अन्य विश्वविद्यालय में भी प्रचलित है। अतः इस व्यवस्था को लागू किया जाना उचित होगा। सभी सदस्यों ने इस विषय पर अपना मत प्रस्तुत किया व सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि कार्य परिषद् के पूर्व निर्णयानुसार आर्डिनेन्स के परिवर्तन तक सम्बन्धित संस्थानों में निदेशकों को पूर्व की भाँति रखा जाय। यह भी चर्चा की गयी कि अन्य संस्थानों में जहाँ अध्यादेशों में निदेशकों की व्यवस्था नहीं है, में भी उपनियमों में आवश्यक परिवर्तन कर समान निर्णय लिया जा सकता है। उपरोक्त चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि के0एम0 संस्थान, आई0एस0एस0 एवं गृह विज्ञान संस्थान के निदेशकों के चयन हेतु अध्यादेश में जो व्यवस्था वर्णित है, वही व्यवस्था अन्य चयनित Acting Directors पर भी लागू होगी। 03 वर्ष के अन्तराल पर चक्रानुक्रम की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग के अध्यादेशों में परिवर्तन की प्रक्रिया 3

को पूर्ण किया जाना आवश्यक है, जो कि दिनांक 05.06.2022 में निर्णय हुआ था। अध्यादेश में परिवर्तन किये बिना ही निदेशकों को बदल दिया गया। अतः कार्य परिषद् के निर्णयानुसार सम्बन्धित संस्थानों में अध्यादेश परिवर्तित होने तक निदेशकों को पूर्ववत् ही रखा जाय। अध्यादेश के परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने हेतु समिति के गठन हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया। उक्त निर्णय पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई।

मद संख्या 08 पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त डा0 रोशन लाल द्वारा कार्य परिषद् द्वारा गठित समितियों की बैठक न कराये जाने पर आपित्त जतायी गयी एवं यह सुझाव दिया गया कि परिषद् द्वारा गठित समितियों की Proper बैठकें आहूत करायी जाय, जिसकी जानकारी अध्यक्ष एवं सचिव को अवश्य हो, इस सुझाव के साथ उक्त मद को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद संख्या 07 पर परिषद् द्वार सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आज की कार्य परिषद् की दिनांक से पूर्व की स्थायी सम्बद्धता हेतु अवशेष सभी निरीक्षण रिपोर्ट को निरस्त करते हुए विश्वविद्यालय स्तर से **Video Recording** के साथ नये सिरे से निरीक्षण कराया जाय। नये सिरे से कराये गये निरीक्षण मण्डल की रिपोर्ट आने के उपरान्त ही स्थायी मान्यता की कार्यवाही की जाय। पूर्व में 08 जनपदों के कुल 201 महाविद्यालयों को प्रदान की गई स्थायी सम्बद्धता का विषय एस0टी0एफ0 में होने के कारण बिन्दु को स्थगित रखा गया, जिस पर सभी सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी तथा यह भी कहा गया कि सम्बद्धता सम्बन्धी शासन स्तर के सभी आदेशों का पूर्णतः पालन करना चाहिए।

शिक्षक चयन के रिक्त पद पर अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को आमंत्रित करना चाहिए, जिससे योग्यतम शिक्षकों का चयन किय जा सके तथा एक शिक्षक पद के सापेक्ष 03 अभ्यर्थी उचित रहेगा। यह प्राविधान चयन हेतु जो साक्षात्कार आयोजित किये जायेगें, उन पर लागू होगा। परिषद् सदस्य डा0 सुकेश यादव ने कहा कि निरीक्षण हेतु गठित निरीक्षण मण्डल की अवधि 45 दिन से बढाकर अधिकतम 06 माह कर ली जाय, जिस पर सभी सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की गयी। उक्त संशोधनों एवं सुझावों के साथ अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद संख्या-7 को छोड़कर दिनांक 05.06.2022 के कार्यवत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

दिनांक 12.09.2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि से पूर्व माननीय कार्य परिषद् सदस्यों द्वारा कहा गया कि कार्यवृत्त पर कुलपति जी के उपस्थित होने पर भी प्रति कुलपति द्वारा हस्ताक्षर क्यों किये गये है, जिसके प्रति उत्तर में सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि कुलपति बैठक में ऑनलाइन

............4

	माध्यम से जुड़े थे तथा कार्यवृत्त पर कार्यवाही करने हेतु प्रति कुलपति द्वारा हस्ताक्षर किये गये। डा0 रोशन लाल एवं प्रो0 प्रदीप श्रीधर ने कहा कि कार्यवृत्त बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार ही बना हैं। अतः प्रति कुलपति प्रो0 अजय तनेजा एवं कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई। परिषद् सदस्य प्रो0 बी0पी0 सिंह द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद संख्या-1 में आर्यभट्ट टीचिंग असिस्टेन्टशिप के रूप में की गयी नियुक्तियों की गाइड लाइन तैयार किये जाने का सुझाव दिया गया, जैसे कि एक संस्थान को कितने रिसर्च स्कॉलर को टीचिंग असिस्टेन्टशिप में रख सकते है तथा भुगतान कहाँ से होगा इत्यादि। माननीय कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि आर्यभट्ट टीचिंग असिस्टेन्टशिप की नियुक्ति की गाइड लाइन तैयार हो चुकी है तथा विद्या परिषद् में अनुमोदित भी हो चुकी है। भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय वित्त समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त संशोधन एवं सुझावों के साथ परिषद् द्वारा दिनांक 12.09.2022 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।
मद संख्या-2	विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 14.11.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-2)
निर्णयः-	सचिव द्वारा परिषद् के समक्ष विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 14.11.2022 की संस्तुतियों को पढकर सुनाया गया। मद संख्या संख्या-13 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार परास्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु तैयार किये गये अध्यादेश में परिषद् सदस्य एवं अध्यादेश निर्माण समिति के सदस्य प्रो0 एस0पी0 सिंह द्वारा Minor पेपर Select करने के सम्बन्ध में Guideline प्रस्तुत की गई तथा परिषद् के समक्ष उन्हें Explain भी किया गया, जो कि अध्यादेश में संलग्नक-2 के रूप में जोड़ा जायेगा। इसके अतिरिक्त शासन से प्राप्त पाठ्यक्रमों के आलोक में Minor विषयों का पाठ्यक्रम भी तैयार किये जाने की बात सदस्यों द्वारा कही गयी। स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर सत्र 2022-23 में Minor विषय के Question Paper के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया कि Question की Choice अधिक रखी जा सकती है। उक्त मद में संशोधन एवं सुझावों के साथ विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 14.11.2022 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या-3	वित्त समिति की बैठक दिनांक 23.11.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-3)

---------------5

निर्णयः-	सचिव द्वारा परिषद् के समक्ष वित्त समिति की बैठक दिनांक 23.11.2022 की संस्तुतियों को परिषद् के समक्ष पढ़कर सुनाया गया। अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद संख्या-1 में निम्न संशोधन किया गयाः- **नोडल समन्वयक तथा नोडल सह समन्वयक, जिनका वर्तमान पारिश्रमिक 1000/- रू तथा 600/- रू0 प्रतिदिन क्रमशः है, उसकों 33 प्रतिशत बढाकर 1330/- रू0 तथा 698/-रू0 प्रतिदिन किया गया।** उक्त संशोधन के साथ वित्त समिति की बैठक दिनांक 23.11.2022 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या-4	आवासीय इकाई द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश पत्रांक/आर0डब्लू/234/22 दिनांक 02.08.2022 सादर संज्ञानार्थ। (परिशिष्ट-4) **टिप्पणीः-** कुलपति आदेश दिनांक 02.08.2022 के अनुपालन में डा0 सलीम जावेद, असिस्टेन्ट प्रोफेसर रसायन विभाग, गृह विज्ञान संस्थान, खन्दारी, आगरा को Central University, of Allahabad Prayagraj Uttar Pradesh में नियुक्ति बावत् दिनांक 03.08.2022 से दिनांक 02.08.2023 तक अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
निर्णयः-	माननीय कार्य परिषद् उक्त से अवगत हुई।
मद संख्या-5	आवासीय इकाई द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश पत्रांक/आर0डब्लू/299/22 दिनांक 10.10.2022 सादर संज्ञानार्थ। (परिशिष्ट-5) टिप्पणी- कुलपति आदेश दिनांक 03.10.2022 के अनुपालन में डा0 अंकिता गुप्ता, असिस्टेन्ट प्रोफेसर आहार एवं पोषण विज्ञान विभाग, गृह विज्ञान संस्थान, खन्दारी, आगरा को Nutritional Science के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 12.10.2022 से दिनांक 11.10.2023 तक का असाधारण अवकाश प्रदान किया गया।
निर्णयः-	माननीय कार्य परिषद् उक्त से अवगत हुई।

-------------6

मद संख्या-6	आवासीय इकाई द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्याःआर0डब्लू/255/22 दिनांक 05.09.2022 सादर संज्ञानार्थ। (परिशिष्ट-6) **टिप्पणीः-** प्रो0 मनोज श्रीवास्तव सांख्यिकी विभाग को शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ के कुलपति पद नियुक्त किये जाने बावत् दिनांक 06.09.2020 से दिनांक 05.09.2023 तक एक वर्ष का अवैतनिक आसाधरण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
निर्णयः-	माननीय कार्य परिषद् उक्त से अवगत हुई।
मद संख्या-7	प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत कार्यालयी पत्र पंत्राकः/प्रशासन/1264/22 दिनांक 22.09.2022 सादर संज्ञानार्थ। (परिशिष्ट-7) **टिप्पणीः-** डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से सम्बन्धित बी0एड0 सत्र 2004-05 के टेबुलेशन चार्टो में की गयी अनियमितता में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध/अभियोजन स्वीकृति के सम्बन्ध में कतिपय संशोधन निम्नवत् हैः- **क्रमांक संख्या-5 श्री अनिल कुमार मित्तल के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न तथा क्रमांक संख्या-09 श्री एच0पी0 सेमवाल के निधन हो जाने के कारण निर्गत संशोधित सूचना।**
निर्णयः-	माननीय कार्य परिषद् उक्त से अवगत हुई।
मद संख्या-8	श्री अजय यादव (अनुबन्धित शिक्षक) Electronics & Communication Engineering आई0ई0टी0 खन्दारी, आगरा को मा0 उच्च न्यायालय के अवमानना याचिका संख्या A6781 of 2022 तथा विश्वविद्यालय अधिवक्ता श्री विवेक राय से प्राप्त विधिक राय के क्रम में उनकी सेवाओं को मा0 उच्च न्यायालय में पारित अग्रिम आदेशों तक बहाल किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत पत्र संख्या RW/321/2022 दिनांक 18.11.2022 से अवगत कराने तथा प्रकरण पर विचार। (परिशिष्ट-8) **टिप्पणीः-** उपरोक्तानुसार मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के समादर में दिनांक 18.11.2022 को बहाली आदेश निर्गत किया जा चुका है तथा पूर्व में गठित जाँच समिति की सीलबन्द आख्या भी प्राप्त हो चुकी है।

----------7

निर्णयः-	उक्त मद पर माननीय कार्य परिषद् सदस्य डा0 रोशन लाल द्वारा पूर्ण प्रकरण पर प्रकाश डालने का आग्रह किया गया। सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि श्री अजय यादव, अनुबन्धित शिक्षक, आई0टी0 खन्दारी, आगरा को पी0एच-डी0 प्रवेश परीक्षा देते समय निदेशक आई0टी0 प्रो0 वी0के0 सारस्वत द्वारा नकल करते हुए पकड़ा गया। श्री विवेक राय से प्राप्त विधिक राय के क्रम में इनकी सेवाओं को माननीय उच्च न्यायालय में पारित अग्रिम आदेशों तक बहाल किये जाने के सम्बन्ध में पत्र निर्गत किया गया। विश्वविद्यालय स्तर पर गठित जाँच समिति की सील बन्द आख्या भी प्राप्त हो चुकी है तथा कहा गया कि पैरवी Proper होनी चाहिए। परिषद् द्वारा बन्द लिफाफे को माननीय उच्च न्यायालय को भेजने का निर्णय लिया गया।
मद संख्या-9	डा0 सलीम जावेद, सहायक आचार्य, रसायन विज्ञान विभाग, गृह विज्ञान संस्थान, खन्दारी, आगरा को कैरियर एडवांसमैन्ट योजना के अर्न्तगत रसायन विज्ञान (गृह विज्ञान) विषय में सहायक आचार्य स्टेज I से सहायक आचार्य II (AGP Rs. 7000/-) पर देयता तिथि 01.04.2017 तथा सहायक आचार्य स्टेज II से सहायक आचार्य III (AGP Rs. 8000/-) पर देयता तिथि 01.04.2022 से वैयक्तिक प्रोन्नति के सम्बन्ध में निर्गत पंत्राक/ R.W./191/22 दिनांक 06.06.2022 अवलोकन हेतु प्रस्तुत। (परिशिष्ट-9)
निर्णयः-	माननीय कार्य परिषद् उक्त से अवगत हुई।
मद संख्या-10	डा0 रंजीत भारती, सहायक आचार्य, भाषा विज्ञान विभाग, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी हिन्दी एवं भाषा विज्ञान विभाग, पालीवाल पार्क, आगरा को एडवांसमैन्ट योजना के अर्न्तगत भाषा विज्ञान विषय में सहायक आचार्य स्टेज I से सहायक आचार्य II (AGP Rs. 7000/-) पर देयता तिथि 15.01.2017 से वैयक्तिक प्रोन्नति के सम्बन्ध में निर्गत पंत्राक/R.W./198/22 दिनांक 06.06.2022 अवलोकन हेतु प्रस्तुत। (परिशिष्ट-10)
निर्णयः-	माननीय कार्य परिषद् उक्त से अवगत हुई।
मद संख्या-11	डा0 बी0डी0 शुक्ला, एशोसिएट प्रोफेसर, इतिहास एवं संस्कृति विभाग, पालीवाल पार्क, आगरा को एडवांसमैन्ट योजना के अर्न्तगत इतिहास विषय में सह-आचार्य पद (स्टेज IV) से आचार्य पद (स्टेज V) पर देयता तिथि 28.01.2019 से (छठवें वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान/अपुनरीक्षित वेतनमान) पे बैण्ड V रू0 37,400-67000 में एजीपी रू0 10,000 के साथ वैयक्तिक प्रोन्नति के सम्बन्ध में निर्गत पंत्राक/R.W./196/22 दिनांक 06.06.2022 अवलोकन हेतु प्रस्तुत। (परिशिष्ट-11)

------------8

निर्णयः-	माननीय कार्य परिषद् उक्त से अवगत हुई।
मद संख्या-12	डा0 देवेन्द्र कुमार, एशोसिएट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान विभाग, आई0बी0एस0 खन्दारी, आगरा को कैरियर एडवांसमैन्ट योजना के अन्तर्गत रसायन विज्ञान विषय में सह-आचार्य पद (स्टेज IV) से आचार्य पद (स्टेज V) पर देयता तिथि 21.04.2018 से (छठवें वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान/अपुनरीक्षित वेतनमान) पे बैण्ड V रू0 37,400-67000 में एजीपी रू0 10,000 के साथ वैयक्तिक प्रोन्नति के सम्बन्ध पंत्राक/R.W./193/22 दिनांक 06.06.2022 अवलोकन हेतु प्रस्तुत। (परिशिष्ट-12)
निर्णयः-	माननीय कार्य परिषद् उक्त से अवगत हुई।
मद संख्या-13	डा0 जैसवार गौतम लाल बिहारी, एशोसिएट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान विभाग, आई0बी0एस0 खन्दारी, आगरा को कैरियर एडवांसमैन्ट योजना के अन्तर्गत रसायन विज्ञान विषय में सह-आचार्य पद (स्टेज IV) से आचार्य पद (स्टेज V) पर देयता तिथि 26.04.2020 से (छठवें वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान/अपुनरीक्षित वेतनमान) पे बैण्ड V रू0 37,400-67000 में एजीपी रू0 10,000 के साथ वैयक्तिक प्रोन्नति के सम्बन्ध पंत्राक/R.W./194/22 दिनांक 06.06.2022 अवलोकन हेतु प्रस्तुत। (परिशिष्ट-13)
निर्णयः-	माननीय कार्य परिषद् उक्त से अवगत हुई।
मद संख्या-14	डा0 अर्चना सिंह, एशोसिएट प्रोफेसर, बायोकैमिस्ट्री, गृह विज्ञान संस्थान, खन्दारी, आगरा को कैरियर एडवांसमेंन्ट योजना के अन्तर्गत बायोकैमिस्ट्री (गृह विज्ञान) विषय में सह-आचार्य पद (स्टेज IV) से आचार्य पद (स्टेज V) पर देयता तिथि 16.07.2019 से (छठवें वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान/अपुनरीक्षित वेतनमान) पे बैण्ड V रू0 37,400-67000 में एजीपी रू0 10,000 के साथ वैयक्तिक प्रोन्नति के सम्बन्ध पंत्राक/R.W./192/22 दिनांक 06.06.2022 अवलोकन हेतु प्रस्तुत। (परिशिष्ट-14)
निर्णयः-	माननीय कार्य परिषद् उक्त से अवगत हुई।
मद संख्या-15	डा0 मो0 हुसैन, सहायक आचार्य, समाज कार्य विभाग, पालीवाल पार्क, आगरा को कैरियर एडवांसमैन्ट योजना के अन्तर्गत समाज कार्य विषय में सहायक आचार्य स्टेज I से सहायक आचार्य II (AGP Rs. 7000/-) पर देयता तिथि 12.01.2017 तथा सहायक आचार्य स्टेज II से सहायक आचार्य III (AGP Rs. 8000/-) पर देयता तिथि 12.01.2022 से वैयक्तिक प्रोन्नति के सम्बन्ध में निर्गत पंत्राक/ R.W./189/22 दिनांक 06.06.2022 अवलोकन हेतु प्रस्तुत। (परिशिष्ट-15)

------------9

निर्णयः-	माननीय कार्य परिषद् उक्त से अवगत हुई।
मद संख्या-16	डा0 रनवीर सिंह, एशोसिएट प्रोफेसर, समाज कार्य विभाग, समाज विज्ञान संस्थान, पालीवाल आगरा को कैरियर एडवांसमैन्ट योजना के अर्न्तगत समाज कार्य विषय में सह-आचार्य पद (स्टेज IV) से आचार्य पद (स्टेज V) पर देयता तिथि 12.01.2019 से (छठवें वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान/अपुनरीक्षित वेतनमान) पे बैण्ड V रू0 37,400-67000 में एजीपी रू0 10,000 के साथ वैयक्तिक प्रोन्नति के सम्बन्ध पंत्राक/R.W./187/22 दिनांक 06.06.2022 अवलोकन हेतु प्रस्तुत। (परिशिष्ट-16)
निर्णयः-	माननीय कार्य परिषद् उक्त से अवगत हुई।
मद संख्या-17	डा0 राजेश कुशवाह, सहायक आचार्य, समाज कार्य विभाग, समाज विज्ञान संस्थान, पालीवाल पार्क, आगरा को कैरियर एडवांसमैन्ट योजना के अर्न्तगत समाज कार्य विषय में सहायक आचार्य स्टेज I से सहायक आचार्य II (AGP Rs. 7000/-) पर देयता तिथि 17.01.2017 तथा सहायक आचार्य स्टेज II से सहायक आचार्य III (AGP Rs. 8000/-) पर देयता तिथि 17.01.2022 से वैयक्तिक प्रोन्नति के सम्बन्ध में निर्गत पंत्राक/ R.W./190/22 दिनांक 06.06.2022 अवलोकन हेतु प्रस्तुत। (परिशिष्ट-17)
निर्णयः-	माननीय कार्य परिषद् उक्त से अवगत हुई।
मद संख्या-18	डा0 आर0के0 अग्निहोत्री, एशोसिएट प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, खन्दारी, आगरा को कैरियर एडवांसमैन्ट योजना के अर्न्तगत समाज वनस्पति विज्ञान विषय में सह-आचार्य पद (स्टेज IV) से आचार्य पद (स्टेज V) पर देयता तिथि 22.03.2020 से (छठवें वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान/अपुनरीक्षित वेतनमान) पे बैण्ड V रू0 37,400-67000 में एजीपी रू0 10,000 के साथ वैयक्तिक प्रोन्नति के सम्बन्ध पंत्राक/R.W./195/22 दिनांक 06.06.2022 अवलोकन हेतु प्रस्तुत।(परिशिष्ट-18)
निर्णयः-	माननीय कार्य परिषद् उक्त से अवगत हुई।
मद संख्या-19	डा0 नीलम यादव, सहायक आचार्य, भाषा विज्ञान विषय, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी हिन्दी एवं भाषा विज्ञान विद्यापीठ, पालीवाल पार्क, आगरा को कैरियर एडवांसमैन्ट योजना के अर्न्तगत भाषा विज्ञान विषय में सहायक आचार्य स्टेज I से आचार्य स्टेज II (AGP Rs. 7000/-) पर देयता तिथि 15.01.2017 से वैयक्तिक प्रोन्नति के सम्बन्ध पंत्राक/R.W./195/22 दिनांक 06.06.2022 अवलोकन हेतु प्रस्तुत। (परिशिष्ट-19)

---------------10

निर्णयः-	माननीय कार्य परिषद् उक्त से अवगत हुई।
मद संख्या-20	डा0 राजीव वर्मा, सहायक आचार्य, समाज कार्य विभाग, समाज विज्ञान संस्थान, पालीवाल पार्क, आगरा को कैरियर एडवांसमैंन्ट योजना के अर्न्तगत समाज कार्य विषय में सहायक आचार्य स्टेज I से सहायक आचार्य II (AGP Rs. 7000/-) पर देयता तिथि 12.01.2017 तथा सहायक आचार्य स्टेज II से सहायक आचार्य III (AGP Rs. 8000/-) पर देयता तिथि 12.01.2022 से वैयक्तिक प्रोन्नति के सम्बन्ध में निर्गत पंत्राक/ R.W./188/22 दिनांक 06.06.2022 अवलोकन हेतु प्रस्तुत। (परिशिष्ट-20)
निर्णयः-	माननीय कार्य परिषद् उक्त से अवगत हुई।
मद संख्या-21	श्री रीतेश कुमार, सहायक आचार्य, भाषा विज्ञान विभाग, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी हिन्दी एवं भाषा विज्ञान विद्यापीठ, पालीवाल पार्क, आगरा को कैरियर एडवांसमैंन्ट योजना के अर्न्तगत भाषा विज्ञान विषय में सहायक आचार्य स्टेज I से आचार्य स्टेज II (AGP Rs. 7000/-) पर देयता तिथि 18.11.2021 से वैयक्तिक प्रोन्नति के सम्बन्ध पंत्राक/R.W./199/22 दिनांक 06.06.2022 अवलोकन हेतु प्रस्तुत। (परिशिष्ट-21)
निर्णयः-	माननीय कार्य परिषद् उक्त से अवगत हुई।
मद संख्या-22	श्रीमती पल्लवी आर्य, सहायक आचार्य, भाषा विज्ञान विभाग, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी हिन्दी एवं भाषा विज्ञान विद्यापीठ, पालीवाल पार्क, आगरा को कैरियर एडवांसमैंन्ट योजना के अर्न्तगत भाषा विज्ञान विषय में सहायक आचार्य स्टेज I से आचार्य स्टेज II (AGP Rs. 7000/-) पर देयता तिथि 21.06.2020 से वैयक्तिक प्रोन्नति के सम्बन्ध पंत्राक/R.W./200/22 दिनांक 06.06.2022 अवलोकन हेतु प्रस्तुत। (परिशिष्ट-22)
निर्णयः-	माननीय कार्य परिषद् उक्त से अवगत हुई।
मद संख्या-23	कुलपति आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन में सम्बद्धता विभाग से प्राप्त कार्यालय टीप में अंकित विभिन्न मद कार्य परिषद् के सादर संज्ञानार्थ एवं अनमोदनार्थ प्रस्तुत। (परिशिष्ट-23) टिप्पणीः- (A) निरीक्षण मण्डल गटन दिनांक 15.03.2022 के उपरान्त कुलपति जी द्वारा महाविद्यालयों में सम्बद्धता दिये जाने वाले पाठ्यक्रमों हेतु नामित किये गये सदस्यों 11

की सूची जो महाविद्यालय के नाम एवं पाठ्यक्रम सहित प्रस्तुत है।

(B) महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों के विभिन्न विषयों हेतु विषय-वार दिनांक 15.03.2022 के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा शिक्षक चयन किये जाने हेतु विषय-विशेषज्ञों के नाम एवं पाठ्यक्रम सहित प्रस्तुत है।

(C) शासन के पोर्टल (http://henoc.upsdc.gov.in) के माध्यम से नवीन/पूर्व से संचालित महाविद्यालय को अतिरिक्त विषय/नवीन पाठ्यक्रम हेतु प्राप्त पूर्व वर्षो एवं नवीन कुल 32 आवेदन प्राप्त हुये जिनको अनापत्ति समिति की बैठक दिनांक 30.07.2022 एवं 31.07.2022 के निर्णयानुसार 03 महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये गये एवं अन्य 29 महाविद्यालयों के आवेदन निरस्त/असंस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया, जिससे पूर्व से लम्बित जनपद-अलीगढ़, हाथरस, एटा एवं कासगंज के 16 आवेदन जो कि पोर्टल पर लम्बित प्रदर्शित हो रहें थे को राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के परिक्षेत्र में जाने के कारण उनके आवेदन निरस्त कर दिये गये है। शासनादेश संलग्न है।

(D) शासन के पोर्टल (http:henoc.upsdc.gov.in) के माध्यम से सम्बद्धता प्राप्त किये जाने हेतु 24 आवेदन प्राप्त हुये जिसमें सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 21.09.2022 के निर्णयानुसार 11 नवीन/पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्रदान की गयी जो कि सत्र 2023-24 से मान्य होगी एवं अन्य 13 महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण न किये जाने के कारण उनके आवेदन निरस्त कर दिये गये है, **शासनादेश संलग्न है।**

(E) कालेज कोड़-108 श्री हरचरन लाल वर्मा महाविद्यालय, अछनेरा, आगरा में वर्ष 2022 की बी0एससी0 परीक्षा प्रश्नपत्रों के लीक प्रकरण में संलिप्तता के दृष्टिगत गठित जाँच समिति की संस्तुति के आलोक में परीक्षा नियंत्रण कार्यालय के पत्र संख्या सी0ओ0ई0/457/2022 दिनांक 07.07.2022 के द्वारा निम्नवत् कार्यालय आदेश जारी किये गये है:-

(i) प्रश्नगत महाविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश सत्र 2022-23 से प्रतिबन्धित रहेगा।

.........12

	(ii) प्रश्नगत महाविद्यालय द्वारा परीक्षा सम्बन्धित नियमों का अनुपालन न करने के कारण महाविद्यालय की सम्बद्धता प्रत्याहरण कर लिया जाये। (F) सचिव, श्रीदेवी सौराम सिंह एजूकेशन इन्स्टीट्यूट, पैढ़त जसराना, फिरोजाबाद के पत्र दिनांक 25.08.2022 के साथ संलग्न भारत सरकार राष्ट्रीय आयोग, अल्पसंख्यक एजूकेशन इन्स्टीट्यूट के आदेश दिनांक 07.09.2021 के क्रम में अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त करते हुये सामान्य वर्ग/श्रेणी में सत्र 2022-23 से प्रवेश लिये जाने की अनुमति हेतु प्रस्तुत।
निर्णयः-	मद संख्या 23 के टिप्पणी में अंकित बिन्दु संख्या-(E) के उप बिन्दु (ii) पर निर्णय लिया गया कि कालेज कोड-108, हरचरन लाल वर्मा महाविद्यालय, अछनेरा, आगरा की सत्र 2022-23 के साथ ही साथ सत्र 2023-24, 2024-25 तीन सत्रों में प्रवेश प्रतिबन्धित किया जाता है। परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति किसी भी महाविद्यालय द्वारा पाये जाने पर उक्त व्यवस्था उन महाविद्यालयों पर भी लागू की सकती है। उक्त निर्णय के साथ सभी बिन्दुओं को अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या-24	उच्च शिक्षा अनुभाग-2 के पंत्राकः991/सत्तर-2-2021-16(216)/2015 दिनांक 15.09.2021, के माध्यम से समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश को निर्देशित पत्र, जिसके अर्न्तगत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों का विवरण ऑनलाइन किये जाने के सम्बन्ध में। (परिशिष्ट-24)
निर्णयः-	परिषद् द्वारा उक्त मद को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या-25	विश्वविद्यालय के आई0ई0टी0 एवं फार्मेसी विभाग में कार्य कर रहे अनुबन्धित शिक्षकों के मानदेय में रू0 10000/- की मासिक वृद्धि के साथ दिनांक 01.07.2022 से रू0 35000/- के स्थान पर रू0 45000/- प्रतिमाह एवं फार्मेसी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो0 ब्रजेश कुमार तिवारी का मानदेय रू0 65000/- से रू0 75000/- के भुगतान हेतु अनुमति प्रदान किये जाने विषयक कार्यालय आदेश संख्या/ आर0डब्लू0/240/22 दिनांक 08.08.2022 सादर संज्ञानार्थ। (परिशिष्ट-25)
निर्णयः-	माननीय कार्य परिषद् उक्त से अवगत हुई।

मद संख्या-26	विश्वविद्यालय के आई0ई0टी0 में कार्य कर रहे समकक्षों के मानदेय में रू0 10000/- की मासिक वृद्धि के साथ दिनांक 01.07.2022 से रू0 35000/- के स्थान पर रू0 45000/- प्रतिमाह के भुगतान हेतु अनुमति प्रदान किये जाने विषयक कार्यालय आदेश संख्या आर0डब्लू0/241/2022 दिनांक 08.08.2022 सादर संज्ञानार्थ। (परिशिष्ट-26)
निर्णयः-	माननीय कार्य परिषद् उक्त से अवगत हुई।
मद संख्या-27	आवासीय इकाई द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश पत्रांक/आर0डब्लू/305/22 दिनांक 12.10.2022 सादर संज्ञानार्थ। (परिशिष्ट-27) **टिप्पणीः-** कुलपति जी के आदेश दिनांक 11.10.2022 के अनुपालन में प्रो0 अजय तनेजा को प्रति कुलपति के पद पर एक वर्ष के लिए नियुक्त किया गया।
निर्णयः-	माननीय कार्य परिषद् उक्त से अवगत हुई।
मद संख्या-28	प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश पत्रांक/प्रशा0/1225/22 दिनांक 06.09.2022 सादर संज्ञानार्थ। (परिशिष्ट-28) **टिप्पणीः-** कुलपति जी के आदेश दिनांक 02.09.2022 के अनुपालन में श्री अखिलेश कुमार अग्रबाल एवं श्री अमृत कुमार को प्रभारी सहायक कुलसचिव नामित किया गया।
निर्णयः-	परिषद् उक्त मद से अवगत हुई एवं श्री अखिलेश कुमार अग्रबाल एवं श्री अमृत कुमार को प्रभारी सहायक कुलसचिव के पद पर आगे Extension न किये जाने का भी निर्णय लिया गया, जिसको सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या-29	डा0 सारिका सिंह, संविदा शिक्षका, विश्वविद्यालय कम्प्यूटर केन्द्र, खन्दारी परिसर, आगरा के त्यागपत्र को दिनांक 17.11.2022 से स्वीकार किये जाने पर विचार। (परिशिष्ट-29)
निर्णयः-	परिषद् द्वारा डा0 सारिका सिंह, संविदा शिक्षका, विश्वविद्यालय कम्प्यूटर केन्द्र, खन्दारी परिसर, आगरा के त्यागपत्र दिनांक 17.11.2022 को स्वीकृति प्रदान की गयी।

-----------14

मद संख्या-30	परीक्षा समिति के Clasue (F) के अर्न्तगत कार्य परिषद् के एक सदस्य को नामित किये जाने हेतु कार्य परिषद् द्वारा एक सदस्य को मनोनीत किये जाने पर विचार।
निर्णयः-	परिषद् द्वारा परीक्षा समिति के Clasue (F) के अर्न्तगत कार्य परिषद् पर एक सदस्य को नामित किये जाने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।
मद संख्या-31	नियमित एवं स्ववित्तपोषित संस्थानों में संविदा पर कार्यरत 47 तृतीय श्रेणी एवं 36 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा विस्तार पर विचार। (परिशिष्ट-30)
निर्णयः-	परिषद् द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त संविदा पर कार्यरत 47 तृतीय श्रेणी एवं 36 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर 03 वर्ष की अवधि के लिए सेवा विस्तार का निर्णय लिया गया, जिसको सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या-32	श्री अनिल श्रीवास्तव एवं श्री राजेश भटनागर की निलम्बन तिथि दिनांक 13.12.2010 से छः माह के उपरान्त दिनांक 13.06.2011 से बहाली तिथि दिनांक 12.04.2016 तक जीवन निर्वाहन भत्ता 50% से बढ़ाकर 75% किये जाने पर विचार। (परिशिष्ट-31)
निर्णयः-	परिषद् द्वारा श्री अनिल श्रीवास्तव एवं श्री राजेश भटनागर की निलम्बन तिथि दिनांक 13.12.2010 से छः माह के उपरान्त दिनांक 13.06.2011 से बहाली तिथि दिनांक 12.04.2016 तक जीवन निर्वाहन भत्ता 50% से बढ़ाकर 75% As per Government Order (शासनादेश के अनुसार) प्रदान करने को अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या-33	श्री सौरभ दुबे को मृतक आश्रित के रूप में तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में योजित किये जाने सम्बन्धी पत्र संख्या प्रशा0/1187/2022 दिनांक 14.08.2022 सादर संज्ञानार्थ। (परिशिष्ट-32)
निर्णयः-	माननीय कार्य परिषद् उक्त से अवगत हुई।
मद संख्या-34	श्री महीपाल सिंह, प्रधान सहायक को पाँच वेतन वृद्धि काटते हुये सेवा में पुनः बहाल करने सम्बन्धी निर्गत कार्यालय आदेश संख्या प्रशा0/1121/22 दिनांक 01.07.2022 सादर संज्ञानार्थ। (परिशिष्ट-33)
निर्णयः-	माननीय कार्य परिषद् उक्त से अवगत हुई।

-----------15

कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 24.11.2022 का पूरक कार्यवृत्त	
मद संख्या-1	प्राचार्य, यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल के प्रस्ताव, स्कूल के बॉलीवाल, कबड्डी व खो-खो का कोर्ट स्थापित करने व खेलकूद गतिविधियों को निरन्तर रखने के लिए कुलपति आवास के बराबर वाला मैदान/क्रीड़ागन को स्वच्छता एवम् रख रखाव की जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व के सहित उपलब्ध कराये जाने पर विचार।
निर्णयः-	परिषद् द्वारा उक्त मद पर निर्णय लिया गया कि कुलपति आवास के बराबर वाला मैदान/क्रीड़ागन मॉडल स्कूल को खेलकूद गतिविधियों के लिए दिये जाने कि सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि इस पर स्वामित्व विश्वविद्यालय का रहेगा, परन्तु मैदान/क्रीड़ागन के रख रखाव की जिम्मेदारी मॉडल स्कूल की होगी। उक्त निर्णय को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या-2	श्री पी0के0 भट्टाचार्य के निलम्बन एवम् सेवानिवृत्ति उपरान्त देयकों के सम्बन्ध में जाँच आख्या पर विचार। (परिशिष्ट-1)
निर्णयः-	जाँच समिति की आख्या का माननीय कार्य परिषद् द्वारा अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चूँकि समान प्रकरण में पूर्व में 03 कर्मचारियों को बहाल किया जा चुका है। अतः समान प्रकरण होने के कारण उन्ही शर्तो के अधीन श्री पी0 के0 भट्टाचार्य को बहाल किये जाने का निर्णय माननीय कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।
मद संख्या-3	श्री वीरेश कुमार के प्रत्यावेदन पर विचार। (परिशिष्ट-2)
निर्णयः-	परिषद् द्वारा श्री वीरेश कुमार के प्रत्यावेदन पर विचार विमर्श करते हुये यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम श्री वीरेश कुमार द्वारा विश्वविद्यालय के खिलाफ जो मुकद्में किये गये है, वह उन्हें वापिस ले, तत्पश्चात् उनकी बहाली पर विचार किया जायेगा। उक्त निर्णय को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या-4	श्री मोहम्मद रियाजउद्दीन को निलम्बन अवधि दिनांक 20.02.2019 से दिनांक 19.04.2021 के अवशेष वेतन का भुगतान किये जाने सम्बन्धी निर्गत कार्यालय आदेश संख्या:प्रशा0/535/2021 दिनांक 20.04.2021 पर स्पष्ट अभिमत प्रदान किये जाने हेतु विचार। (परिशिष्ट-3)
निर्णयः-	उक्त मद पर स्पष्ट अभिमत प्रदान करते हुये माननीय कार्य परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि श्री रियाजउद्दीन, वरिष्ठ सहायक को पूर्व निर्गत आदेश संख्या 535/2021 दिनांक 20.04.2021 की शर्तो के साथ निलम्बन अवधि दिनांक 20.02.2019 से दिनांक 19.04.2021 तक के अवशेष वेतन का भुगतान नियमानुसार कर दिया जाय।

------------16

Ashu Rai

मद संख्या-5	कुलसचिव के आदेश दिनांक 01.10.2022 के क्रम में श्री शैलेन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त अधीक्षक के प्रकरण के निस्तारण हेतु गठित समिति द्वारा अभिलेखों की जाँचोपरान्त प्रस्तुत आख्या के आधार पर श्री शैलेन्द्र गुप्ता को Provisional Pension निर्गत किये जाने पर विचार। (परिशिष्ट-4)
निर्णयः-	उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु गठित समिति की आख्या के आधार पर माननीय कार्य परिषद् द्वारा श्री शैलेन्द्र गुप्ता को Provisional Pension निर्गत किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी, जिस पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या-6	श्री जी0के0 जैन, श्री ब्रजेश वर्मा एवं श्री संजय यादव के प्रकरण पर माननीय कार्य परिषद् दिनांक 20.01.2021 के मद संख्या-14 में लिये गये निर्णय पर स्पष्ट अभिमत (वेतन वृद्धि कब से प्रदान की जानी है, निलम्बन की तिथि से अथवा कार्य परिषद् की तिथि से) प्रदान किये जाने पर विचार। (परिशिष्ट-5)
निर्णयः-	श्री जी0के0 जैन, श्री ब्रजेश वर्मा एवं श्री संजय यादव के प्रकरण पर माननीय कार्य परिषद् दिनांक 20.01.2021 के मद संख्या-14 में लिये गये निर्णय पर स्पष्ट अभिमत प्रदान करते हुये निलम्बन की तिथि से वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने को माननीय कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद	
मद संख्या-1	विश्वविद्यालय के सेठ पदम चन्द्र जैन संस्थान, दाऊ दयाल व्यावसायिक शिक्षक संस्थान, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग, बायोटेक्नोलोजी विभाग, माइक्रो बायोलोजी विभाग, बायोकैमिस्ट्री विभाग, शारीरिक शिक्षा विभाग एवं ललित कला संस्थान में कार्य कर रहे शिक्षकों का मानदेय रू0 10000/- की मासिक वृद्धि के साथ दिनांक 01.07.2022 से रू0 35000/- के स्थान पर रू0 45000/- प्रतिमाह के भुगतान हेतु अनुमति प्रदान किये जाने विषयक कार्यालय आदेश संख्या आर0डब्लू0/307/2022 दिनांक 15.10.20022 से परिषद् अवगत हुई। (परिशिष्ट-1)
मद संख्या-2	डा0 आनन्द टाइटलर, खेलकूद सहायक को खेलकूद विभाग में कोच(प्रशिक्षक) के पद पर प्रोन्नति/समायोजित करने सम्बन्धी प्रकरण में प्राप्त विधिक राय का पुर्न अवलोकन किया गया तथा विचार विशर्म के उपरान्त सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि विधिक राय में इंगित बिन्दुओं जैसे कि:- शैक्षिक योग्यता, अर्हता एवं नियमों, परिनियमों के आलोक में परीक्षण हेतु एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए माननीय कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से कुलपति जी को अधिकृत किया गया। (परिशिष्ट-2)

..............17

मद संख्या-3	विधि विभाग की आख्या, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के विरूद्ध योजित होने वाले वादों/यचिकाओं में पैरवी करने हेतु नामित अधिवक्ता श्री वी0पी0 शर्मा, अधिवक्ता राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, श्री राजेश तिवारी, अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ एवं श्री अमितेश कुमार, अधिवक्ता (नोटः याचिका संख्या-5702/2022 में पैरवी किये जाने हेतु) माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली से माननीय कार्य परिषद् अवगत हुई। (परिशिष्ट-3)

सभी सदस्यों ने नियमानुसार समय-समय पर माननीय कार्य परिषद् की बैठक आयोजित कराने, जिससे विश्वविद्यालय के कार्यो में गति आये एवं आगामी नैक मूल्यांकन आदि की तैयारी हेतु रूपरेखा तैयार कर उसको कैसे कार्यान्वित किये जाने विचार किया जा सके, के सम्बन्ध में सहमति व्यक्त की गई।

अन्त में सचिव द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक के समापन की घोषणा की गई।

कुलसचिव

कुलपति